निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 534) पटना, शुक्रवार, 4 सितम्बर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर 2020

सं० बी1–3–67/2020–**20**—बिहार राज्य के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–434/बिहार–लो.स./2008(1) दिनांक 31.08.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001, दिनांक 31 अगस्त, 2020 / 9 भाद्रपद, 1942 (शक)

सं० 434 / बिहार–लो.स. / 2008(1) :– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत शक्तियां और राज्य सरकार की अधिसूचना सं0–14 / विविध (नीति)–903 / 2020–4033 दिनांक 19.03.2020 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति के संबंधित तारीख 25 सितम्बर, 2008 की अपनी अधिसूचना संख्या 434 / बिहार–लो.स. / 2008 (1) में एतद्द्वारा और निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में दर्शायी गयी प्रविष्टियों के सामने विद्यमान प्रविष्टियाँ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाची पदाधिकारी
1	2
1–वाल्मीकिनगर	अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
3–पूर्वी चम्पारण	अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
7–झंझारपुर	अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी
15–मुजफ्फरपुर	अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर
20–सारण	अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा
22–उजियारपुर	अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर
31–पाटलिपुत्र	अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना

आदेश से,
प्रमोद कुमार शर्मा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

Election Commission of India

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated-31st August, 2020 9 Bhadrapada, 1942 (Saka)

No. 434/BR-HP/2008(1) :- In pursuance of the provision of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and State Government Notification no. 14 / विविध (नीति)-903/2020-4033 dated 19.03.2020, the Election Commission hereby makes the following further amendments in its Notification No. 434/BR-HP/2008 (1) dated 25th September, 2008 relating to appointment of Returning Officer for Parliamentary Constituencies in the State of Bihar, namely:

In place of the existing entries against column I of the table appended to the said notification, the following entries shall be substituted:-

TABLE

Number and Name of Parliamentary Constituency	Returning Officer
1	2
1-Valmiki Nagar	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, West Champaran, Bettiah
3- Purvi Champaran	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, East Champaran, Motihari
7-Jhanjharpur	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Madhubani

Number and Name of Parliamentary Constituency	**Returning Officer**
1	**2**
15-Muzaffarpur	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Muzaffarpur
20-Saran	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Saran, Chapra
22-Ujiarpur	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Samastipur
31-Patliputra	Additional Collector-cum-Additional District Magistrate, Patna

By Order,
PRAMOD KUMAR SHARMA,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 534-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in